भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3605

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मोहनलालगंज में आयुष योजनाएं

3605. श्री आर.के.चौधरी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में वर्तमान में कोई विशिष्ट आयुष योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में आयुष सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयुष मंत्रालय के तहत कोई ऐसी परियोजनाएं या पहल की योजना बनाई गई है, जो निकट भविष्य में स्वास्थ्य परिचर्या और आरोग्य के मामले में स्थानीय आबादी को लाभान्वित करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को समुदाय की बेहतर सेवा के लिए आयुष प्रथाओं में किस प्रकार समर्थन और प्रशिक्षण दिया जा रहा है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, मोहनलालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे राज्य में, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में आयुष सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। तथापि, भारत सरकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रही है और उनके द्वारा प्रस्तुत राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के सापेक्ष एनएएम के दिशा-निर्देशों के प्रावधान के अनुसार विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके स्वास्थ्य परिचर्या और आरोग्यता के संदर्भ में समुदाय को आयुष सेवाएं सुलभ कराने के, उनके प्रयासों का समर्थन कर रही है। यह मिशन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए प्रावधान करता है:-

i. मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का संचालन जिसे अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) नाम दिया गया है।
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंदों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।

iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/उन क्षेत्रों में नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण, जहां कोई आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

v. 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।

vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी औषधियों की आपूर्ति।

vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।

viii. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।

ix. आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

इसके अतिरिक्त, एनएएम के फ्लेक्सीपूल घटक के अंतर्गत, आयुष शैक्षणिक संस्थाओं और आयुष अस्पतालों/औषधालयों में कार्यशील शिक्षण कर्मचारियों, चिकित्सा अधिकारियों और अन्य पैरामेडिकल कार्मिकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय आयुर्ज्ञान नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना भी कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें आयुष कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) के घटक के तहत वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

*****